ई–मेल

राजस्थान–सरकार

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर–302015
फोन नम्बर 0141–2973804, 2988946 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं / काउन्सलिंग / 2018 / 2694 **दिनांकः–** 18-10-18

प्रधानाचार्य,
संबंद्ध समस्त पैरामेडिकल कॉलेज,
राजस्थान।

विषयः– सत्र 2018–19 के अभ्यर्थियों की जोईनिंग हेतु दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2018–19 के लिए विभिन्न पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा ऑन लाईन काउन्सलिंग आयोजित दिनांक 16.10.2018 तक सम्पन्न हो चुकी है। काउन्सलिंग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रतानुसार पाठ्यक्रम–महाविद्यालय आवंटित किये गये थे। निर्धारित समय तक उपस्थिति देने वाले, अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश देने के लिए ऑन लाईन काउन्सलिंग के बाद प्रवेश के अनुसार ही निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:–

1. प्रवेश सूची में नाम एवं महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपस्थिति देने वाले सभी अभ्यर्थियों की कक्षा–10 एवं 12 की मूल अंकतालिका प्राप्त कर 12वीं कक्षा के प्राप्तांकों का मिलान प्रवेश सूची से दिये गये अंकों से करें, मिलान के पश्चात् रिकॉर्ड को महाविद्यालय की सील से प्रमाणित करते हुए अभ्यर्थी की 10वीं व 12वीं कक्षा की मूल अंकतालिका, आव्रजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate), मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र मूल प्रति महाविद्यालय में जमा कर के काउन्सलिंग द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवायें।
2. अभ्यर्थी के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अलावा अन्य बोर्ड से 10वीं व 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उसका सत्यापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा दी गई अनुदेशिका से मिलान करें एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी की गई अनुदेशिका से मिलान ना होने पर अभ्यर्थी की 10वीं व 12वीं कक्षा की मूल अंकतालिका का सत्यापन / समकक्षता का प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से करावें।
3. अंकतालिका के मिलान के समय यह सुनिश्चित करें कि **उच्च माध्यमिंक परीक्षा सामान्य वर्ग अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति, अन्य पिछडे वर्ग अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की गई हो।** इससे कम अंक वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं है तथा आवंटन सूची में नाम होने पर भी प्रवेश नहीं दिया जायें।
4. अभ्यर्थी द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व गणित विषय) से उत्तीर्ण की गई है, यह सुनिश्चित करें। **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व गणित विषयों के अलावा अन्य विषयों यथा कृषि विज्ञान, भूगोल विज्ञान आदि विषयों से उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण अभ्यर्थी पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं है।** किसी भी अनियमित प्रवेश पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

5. अभ्यर्थी द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा विज्ञान वर्ग **(भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व गणित विषय)** से **दिनांक 16.08.2018 से पुर्व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो यह सुनिश्चित करें।**
6. अभ्यर्थी की **आयु दिनांक 31.12.2018 तक 17 वर्ष** पूर्ण होनी अनिवार्य यह सुनिश्चित करें।
7. पैरा मडिकल पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक प्रकृति एवं पैरा मेडिकोज द्वारा किये जाने कार्यों की प्रकृति के मध्यनजर विशेष योग्य श्रेणी में केवल L.D. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही विशेष योग्यजन (Specially abled) की आरक्षित सीटों पर प्रवेश देय होगा। उस श्रेणी में आरक्षण का लाभ 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।
8. यदि कोई अभ्यर्थी गलत विवरण देकर या सूचना छुपाकर अथवा किसी प्रकार से अयोग्य होने पर भी किसी भी कारणवश प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो गलती का पता चलने पर, चाहे छात्र उस समय किसी भी कक्षा में अध्ययन कर रहा हो, उसका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

अतः सभी पैरा मेडिकल महाविद्यालय/संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं/शर्तों के अनुसार ही अभ्यर्थी को प्रशिक्षण करवायें। अन्यथा अभ्यर्थी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका/पैरा मेडिकल कौंसिल में अभ्यर्थियों का नामांकरण ना होने जैसे अन्य समस्याओं के लिए महाविद्यालय/संस्था स्वंय जिम्मेदार होंगे, किसी कारणवश अभ्यर्थी की रिपोर्टिंग करते समय कम्प्यूटर तकनीकी के कारण रिपोर्टिंग की जा चुकी है, तो ऐसे अभ्यर्थी की रिपोर्टिंग **दिनांक 25.10.2018 तक** अपने लेटर पेड पर समस्त विवरण प्रस्तुत कर राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल की **ई-मेल rpmc.helpdesk@gmail.com** भेजकर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करवाकर अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज एवं सम्पूर्ण प्रशिक्षण शुल्क लौटा दी जाये, साथ ही अभ्यर्थी को सूचित करें।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जानी सुनिश्चित करें।

18/10/18

(सुनीता चौधरी)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं/काउन्सलिंग/2018/2694 **दिनांकः–** 18-10-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (ESI), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अध्यक्ष, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
6. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
7. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
8. परीक्षा शाखा, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
9. समस्त पैरा मडिकल प्रशिक्षण अभ्यर्थी, राजस्थान।
10. सर्वररूम प्रभारी, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

18/10/18

(सुनीता चौधरी)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार